

10/11/2014/20

[प्रारूप 2 क, ]

(नियम 4 देखिए)

# नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

## भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या.....में क्रम संख्या.....पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम.....है जो.....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....

.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग.....

में क्रम संख्या.....पर प्रविष्टि है।

दिनांक.....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए)

द्वारा ... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम प्रदीप कुमार प्रदीपिता/पति का नाम - चंदा - बिन्दु

उसका डाक पता उप. जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय (राज्य)

उसका नाम 34-4000000-2000 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 205 संयुक्त

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं 3 क्रम संख्या 220 पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	200-बनारस	202	1006	श्री गंगाधर चौधरी	श्री गंगाधर चौधरी	24/03/14
2	200-बनारस	202	1004	श्री राजेश चौधरी	श्री राजेश चौधरी	24/03/14
3	200-बनारस	202	1016	राजेश कुमार चौधरी	राजेश कुमार चौधरी	24/03/14
4	200-बनारस	202	1018	श्री श्री	श्री श्री	24/03/14
5	200-बनारस	202	1011	श्री गंगाधर चौधरी	श्री गंगाधर चौधरी	24/03/14
6	200-बनारस	202	1026	श्री गंगाधर चौधरी	श्री गंगाधर चौधरी	24/03/14
7	200-बनारस	202	1022	श्री गंगाधर चौधरी	श्री गंगाधर चौधरी	24/03/14
8	200-बनारस	202	818	श्री गंगाधर चौधरी	श्री गंगाधर चौधरी	24/03/14
9	200-बनारस	202	1086	श्री गंगाधर चौधरी	श्री गंगाधर चौधरी	24/03/14
10	200-बनारस	202	1117	श्री गंगाधर चौधरी	Shardul Chauhan	24/03/14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

## भाग - III

भाग II (जो लागू न हो उसे काट दे) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा मेरा यह घोषणा करता हूँ कि -

मैंने 34 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

उल्लिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में "प्रजासिद्धि" दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाय।

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में "प्रजासिद्धि या प्रजासिद्धि मानव" दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) आरक्षण (ii) आरक्षण (iii) आरक्षण

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी "हिन्दी" में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं "अतिविद्ध, नर" जाति/जन्जाति का सदस्य हूँ जो

उस राज्य में के (क्षेत्र) से संबंधित अनुसूचित

जाति/जन्जाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 21/03/14

प्रदीप कुमार प्रसाद  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हाँ / नहीं

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. .... " 21-21 "
- (ii) पुलिस स्टेशन ..... जिला (जिले) ..... " 21-21 " राज्य ..... " 21-21 "
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार्यें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था ..... " 21-21 "
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) ..... " 21-21 "
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था ..... " 21-21 "
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपदर्शित ..... " 21-21 "
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) ..... " 21-21 "
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी / थीं
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया ..... " 21-21 "
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाएँ) का निपटारा कर लिया गया है या वे / वह अभी लंबित हैं ..... " 21-21 "
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... " 21-21 "
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) ..... " 21-21 "

दिनांक ..... 24/03/14

स्थान ..... बदायुँ

प्रदीप कुमार उस्ताद  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 10/MS/2014/Ro यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में  
24.3.2014 (तारीख) को 12.42 (ग्राम बजे) को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 24.3.14  
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

रिटर्निंग अधिकारी  
निर्वाचन पदाधिकारी,  
33 बकस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय  
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है  
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

दिनांक .....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) .....

ग्राम - गोलाईपुर, पोस्ट - पिरठिया

ब्लाक - गंगुडा

जिला - मधु (गंगुडा)

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-


(1) मैं प्रजासिंह मानन राजा पार्टी (\*\* राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया  
गया अभ्यर्थी/\*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 205 गंगुडा रामानाथ (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 9  
के क्रम सं० 220 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सर्वक टेलीफोन नं० 9572597837 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) .....  
है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि है तो) .....

है।



प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)



KAVINDRA SINGH  
NOTARY, BUXAR

NO.....DATE.....TIME.....  
2698 26/3/14 10:30 AM

33 - बक्सर संघदीप

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर

के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं प्रदीप कुमार प्रसाद \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी वंशी वि. आय 34 वर्ष, जो

ग्राम जोराईपुर, पोस्ट पिपरिया

थाना - मधुआ

जिला - बक्सर

(डाक का

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी (\*\* राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ \*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 205 मधुआ (नामास्थित) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 9 के क्रम सं० 220 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क तेलीफोन नं० 9572597837 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) 2204 है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि है तो) 2204 है।



(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवेचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	कोई कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

नम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं अपने पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के उ





अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	25000/-	5000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	स्टेट बैंक आन्ध्र प्रदेश मधुआसिमा क्र० 3 067 3941427 रकम 996/12	अरुण विद्या आश्रित बैंक सपुर केंद्र (बाराक) 7388170000 2549 रकम 1865/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसने फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वित्तीय ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य




(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक. रजिस्ट्रीकरण सख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
(vii)	ज्वरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	लोगा 1/2 मर मीटर 45 इजार	लोगा 2 मर मीटर 60 इजार चांदी-6 मर मीटर 54001 रु	२५-५	२५-५	२५-५
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
(ix)	समग्र कुल मूल्य	71,000/- लोगा	73000/- लोगा	२५-५	२५-५	२५-५

### आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे


टिप्पण 1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मौजा गोरखपुर	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1.125	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं )	हां	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में )	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	16 लाख लोगा	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	कृपाया प्राप्त	२५-५	२५-५	२५-५
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		2 1/2 अक्षर	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		2 1/2 अक्षर	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)		हां	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
अनुमानित चालू बाजार मूल्य		₹ 50,000/-	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
अनुमानित चालू बाजार मूल्य से संपत्ति में	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	




(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	18,50,000 दिल्ली	22.4	22.4	22.4	22.4
------	--	---------------------	------	------	------	------

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे क पृथक विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	कोई अन्य दायित्व	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	दायित्वों का कुल योग	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	आय-कर शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	धनकर शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	सेवाकर शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	मिक्रयकन शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
	कोई अन्य शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
(iii)	सरकारी शोध्य	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4



	का कुल योग	११.०५	११.०५	११.०५	११.०५	११.०५
iv	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	११.०५	११.०५	११.०५	११.०५	११.०५

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं..... घर  
 (ख) पति या पत्नी..... शुद्ध

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-


बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2002 की  
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा स्व. एल. लपुर इंटर क  
द्वारा मेरी उतीर्णता प्राप्त है।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख


(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु <u>शरद कुमार</u>
2	डाक का पता	<u>ग्राम- जेराईपुर, पो. पिपरिया,</u> <u>भोगा मधुआ, जिला- इंटर</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>205 मधुआ 'बिहार' विधानसभा</u> <u>निर्वाचन क्षेत्र बिहार</u>
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>प्रगतिशील मानव विकास पार्टी</u>
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>११.०५</u>
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) संज्ञित किया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	<u>११.०५</u>
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (उपधारा (1) उपधारा (2) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	<u>११.०५</u>



7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	२५-५	२५-५	२५-५
	(ख) पति या पत्नी	२५-५	२५-५	२५-५
	(ग) आश्रित	२५-५	२५-५	२५-५

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	71,00,000/-	73,00,000/-	२५-५	२५-५	२५-५
ख	स्थावर आस्तियां	18,50,000/-	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	I स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	III निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	18,50,000/-	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
9	दायित्व	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	सरकारी ऋण (कुल)	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५
	निकाश विधीय संस्थाओं और अन्य	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५	२५-५



	से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	१०.५	१०.५	१०.५	१०.५	१०.५
(i)	सरकारी शोध (कुल)	१०.५	१०.५	१०.५	१०.५	१०.५
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१०.५	१०.५	१०.५	१०.५	१०.५

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

विद्या विद्यालय परीक्षा लक्षित द्वारा आयोजित वर्ष 2002 की कार्य प्रयोग एच.एच. एन. इत्यादि तृतीय श्रेणी के उत्तीर्ण प्राप्त रहे।

(प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय/ शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)


### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख.....को सत्यापित किया गया।



प्रदीप कुमार प्रसाद  
अभिसाक्षी

I identify Pradeep Kumar Prasad who has signed in my presence.

Rajay

26/3/14

टिप्पण- 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण- 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण- 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण- 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण- 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण- 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं..... 9572597837

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है..... 22-2

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 22-2

टिप्पण- 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।